N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0172 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/08/2024 20:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	467
4	भा दं सं 1860	468
5	भा दं सं 1860	471
6	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/02/2022 **Date To (दिनांक तक):** 21/02/2023
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 23:59 बजे **Time To (समय तक):** 10:15 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/08/2024 **Time (समय):** 18:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/08/2024 20:37:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
      (b)**Address(पता):** NAGAR PARISHAD KARYALYA, SANCHORE

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SUJANARAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): HARIRAM

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1975

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RANIWADA ROAD, RAMESH COLONY, SANCHORE, सांचोर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RANIWADA ROAD, RAMESH COLONY, SANCHORE, सांचोर, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARISHCHANDRA GEHLOT		पिता:KHIMARAM	1. RAYCHAND COLONY,SHIVGANJ,SHIV GANJ (ERINPURA),SIROHI,RAJASTH
2	NARESH H SETH		पिता:HARKHCHAND SETH	1. HADECHA ROAD, SANCHORE,सांचोर,RAJASTHAN, INDIA

3	RAMESH KUMAR		पिता:MANGI LAL	1. B BLOCK,SHANTI NAGAR,RAMDEV COLONY,JALORE,RAJASTHAN,
4	KISHORE KUMAR		पिता:GOKULDAS	1. PURANA POWER HOUSE KE PAS,SACHORE,सांचोर, RAJASTHAN,INDIA
5	NARAYAN SINGH		पिता:RAJU SINGH	1. RAO KA VAS,SANCHORE, सांचोर,RAJASTHAN,INDIA
6	BHBHUTARAM		पिता:DHANNARAM	1. DHAMANA KA GOLIYA, SANCHORE,सांचोर,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	प्रकरण अपराध में शामिल	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाक्यात प्रकरण हाजा इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री सुजानाराम पुत्र श्री हरिराम निवासी रमेश कोलोनी सांचौर जिला जालोर ने दिनांक 20.02.2022 को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को इस आशय की शिकायत प्रेषित की कि ग्राम माखुपुरा तहसील सांचौर के खाता संख्या 297 के खसरान की भूमि का नामांतरण संख्या 407 दिनांक 10.09.2010 के जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला जालोर के आदेश क्रमांक /राजस्थान/ 2941-47 दिनांक 06.08.2010 की पालना में नगर पालिका सांचौर के नाम दर्ज किया गया। जिनमें से खसरा संख्या 2731 व 2736 की भूमि जो एनएच -15 के लगती हुई होने से नगर पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव दिनांक 10.112010 को होटल नीति प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई। उपरोक्त वर्णित तथ्य से स्पष्ट है कि उक्त भूमि होटल प्रयोजन के लिए ही आरक्षित की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा सकता और इसी क्रम होटल के लिए नगर पालिका द्वारा बोली गई उस नीलामी में केवलचंद एण्ड पार्टी ने भाग लिया व 10 हजार रूपये की धरोहर राशि के रूप में रसीद संख्या 48 दिनांक 18.05.2011 को काटी गई। लेकिन किसी कारणवश यह नीलामी सफल नहीं हो सकी ऐसी स्थिति में वह भूमि तभी से लेकर आज दिनांक मौके पर खाली ही पड़ी है। उक्त भूमि जो विधि अनुसार होटल प्रयोजनार्थ आरक्षित है मौके पर खाली पड़ी है। लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए दुर्भावनापूर्वक उक्त भूमि को वर्तमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर श्री हरिशचंद्र गहलोत व चैयरमेन नरेश सेठ ने आपराधिक षडयंत्र रचकर उक्त खाली पड़ी आरक्षित भूमि के पटे जारी करने हेतु उपरोक्त संदर्भ में वर्णित किशोर कुमार, भभूताराम, नारायणसिंह व अन्य के साथ बैठकर आपराधिक षडयंत्र रचा व उक्त नाम धारियों के नाम बिना प्रतिफल लिये अपर्याप्त प्रतिफल लेकर पट्टे जारी कर बाजारू कीमत के हिसाब से करीब 20 करोड़ रुपये का नगर पालिका व राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया है व उक्त अधिकारियों ने उक्त पट्टाधारियों से मिली भगत कर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है जो दस्तावेजी सबूत से प्रमाणित है। जब मुझ प्रार्थी ने मौखिक रूप से उक्त नगर पालिका के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई तो मुझे उन्होंने कहा कि लिखित में कोई शिकायत नहीं करना, आपको जो पैसा चाहिए वो हमारे से ले लो लेकिन मैं उनके प्रलोभन नहीं आया व मैंने लिखित में कुछ अधिकारियों को शिकायत भेजी तब नगर पालिका के अधिकारियों ने आनन

फानन में भ्रष्टाचार उजागर होने के भय से दिनांक 13.01.2022 को एक पत्र क्रमांक/न.पा.मं.सा./22/7164-69 जारी कर पत्र में लिखा की किशोर कुमार श्री भभूताराम, श्री नारायणसिंह के पट्टे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिये जाते है। जबकि उक्त अधिकारियों को यह अच्छी तरह पता है कि नगर पालिका जो पट्टा जारी करती है उस पट्टे को नगर पालिका खुद निरस्त नहीं कर सकती है यह पत्र सिर्फ मुझे एवं आम जनता को संतुष्ट एवं भ्रमित करने के लिये जारी किया गया है। उपरोक्त संदर्भ में वर्णित सन् 2013 में जो नारायणसिंह के नाम को पट्टा संख्या 1150/2013 जारी किया था। उस पटटे को स्वंय अधिषाषी अधिकारी नगर पालिका द्वारा निरस्त करने हेतु वरिष्ट सिविल न्यायाधीष सांचौर के न्यायालय में वाद संख्या 162/2017(90/17) प्रस्तुत कर उसमें यह कथन किया है कि यह भूमि होटल के लिये आरक्षित है इसलिये यह पट्टा गलत जारी किया गया है इसलिये निरस्त किया जावे। जबकि दूसरी तरफ स्वंय अधिषाषी अधिकारी एवं चैयरमैन इत्यादि उसी जगह व उसी खसरे की भूमि का जो होटल के लिये आरक्षित है के उपरोक्त संदर्भ में वर्णित पट्टे जारी कर दिये इसलिये यह साफ है कि उपरोक्त वर्णित अधिकारी आपराधिक षड्यंत्र रचकर अपर्याप्त राशि नगर पालिका में जमा करवाकर पट्टे जारी कर दिये जबकि धारा 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में स्पष्ट लिखा है कि किसी मूल्यवान को किसी प्रतिफल के बिना ऐसे प्रतिफल के लिये जिसे वो जानता है अपर्याप्त है प्रतिग्रहित करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करे वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है किन्तु जो छः माह से कम नहीं होगी व जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार सुस्थापित विधि के तहत उक्त अधिकारियों ने अपराध किया है जिसके लिये वो दण्डनीय है। वर्ष 2013 में जिस व्यक्ति के नाम का पट्टा जारी किया गया उस पट्टे के पड़ोस एवं वर्तमान में सन् 2022 में उसी व्यक्ति नारायणसिंह को जो पटटा जारी किया गया उनके पड़ोस देखने से साफ जाहिर है कि इन्होंने आनन फानन में उल्टे सीधे पड़ोस दर्शाकर भ्रष्टाचार करते हुए पट्टे जारी किये है। उपरोक्त वर्णित अधिकारियों एवं पट्टाधारियों ने आपराधिक षडयंत्र रचकर वर्ष 2011 में जो भूमि का एक छोटा सा भाग 6 करोड़ से उपर की नीलामी बोली गई थी उसी भू-भाग को सन् 2022 में मात्र दस-दस हजार रुपये में अपर्याप्त राशि है में पट्टा जारी कर भारी भ्रष्टाचार किया है जबकि वर्तमान में इसकी बाजार दर करीब 20 करोड़ रूपये से उपर है जिसके लिये न केवल धारा 11 अपितु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत भी उपरोक्त वर्णित अधिकारियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है तथा उक्त भ्रष्टाचार की खबर स्थानीय मीडिया में व स्थानीय अलग अलग समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है।वगैरह रिपोर्ट पर पर ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा शिकायत आर नंबर 1232/2022 दिनांक 22.02.2022 दर्ज की गई। इसी प्रकार उक्त शिकायतकर्ता श्री सुजानाराम ने दिनांक 09.02.2022 को श्रीमान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को एक और रिपोर्ट इस आशय की शिकायत प्रेषित की कि मैं नगर पालिका सांचौर क्षेत्र का निवासी हूँ तथा में कई वर्षों से नगर पालिका सांचौर में निवास कर रहा हूँ। नगर पालिका द्वारा बैस कीमति जमीन जो नगर पालिका क्षेत्र के माखुपुरा एनएच- 68 पर आई हुई है जो पूर्व में सन् 2011 में नगर पालिका सांचौर द्वारा अपनी जमीन मानते हुए नीलामी बोली गई थी, उक्त सांचौर के मुख्य आबादी के पास होने एवं एनएच से जुड़ती हुई होने से नगर पालिका द्वारा अपने प्रस्ताव में होटल निर्माण के लिये उक्त जमीन आरक्षित की गई थी जिससे नगर पालिका एवं राज्य सरकार को नीलामी से आमदनी होनी थी जो दिनांक 18.05.2011 को बोली गई थी जिसमे लगभग 5 करोड़ रूपये पर नीलामी बोली गई थी जिसमें केवलचंद वगैरा द्वारा पूर्व धरोहर राशि दी लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए जो लेकिन नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी एवं चौयरमैन द्वारा मिलीभगत कर जमीन को बिना कब्जा के पट्टा नंबर 97/11.01.2022 श्री किशोर कुमार पुत्र श्री गोकुलदास जाति साद एवं पटटा संख्या 98/11.01.2022 श्री नारायणसिंह पुत्र श्री राजुसिंह जाति राव एवं दो अन्य को उक्त जमीन पर पट्टे दे दिये गये। जबकि उक्त जमीन जो नगर पालिका अपने स्तर पर पट्टे देने का अधिकार नहीं रखती क्योंकि उक्त जमीन राज्य सरकार को जमीन है। नगर पालिका उन्ही व्यक्ति को पट्टा राज्य सरकार के आदेशानुसार दे सकती है जिस पर आवेदन कर्ता का पूर्व में हो तथा उक्त कब्जे के पुख्ता दस्तावेज हो उन्हीं के आधार पर नगर पालिका पटटे दे सकती है। मुझ प्रार्थी द्वारा कब्जाशुदा भूखण्ड जो माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार मुझ प्रार्थी का कब्जा माना गया होने एवं रजिस्टर्ड शुदा दस्तावेज होने के बावजूद भी अधिशाषी अधिकारी द्वारा 5 लाख राशि मांगी जा रही है नहीं देने पर पट्टा नहीं देने के कहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिषाषी अधिकारीकी शिकायत चैयरमैन को करने पर उन्होंने भी पैसे की डिमाण्ड की मेरे पास इन्हें पैसे नहीं दिये जाने पर उन्होंने मुझे खुली धमकी दी की आपके खिलाफ कार्यवाही कर झूठे मुकदमे मे फंसा देंगे। उपरोक्त शिकायत के आधार पर ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा शिकायत आर नंबर 1024/2022 दिनांक 16.02.2022 दर्ज कर उपरोक्त दोनों आर शिकायत संख्या 1232 दिनांक 22.02.2022 एवं 1024 दिनांक 10.02.2022 में श्री हरीषचंद्र गहलोत अधिकारी नगर पालिका सांचौर, श्री नरेश सेठ चैयरमैन नगर पालिका सांचौर एवं अन्य के द्वारा मिली भगत करके बेश कीमती जमीन जो होटल के प्रयोजनार्थ की जिसका अपर्याप्त प्रतिफल लेकर बिना कब्जे के पट्टा देकर नगर पालिका को हानि पहुंचाने एवं शिकायत में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला संबंधित द्वारा पद का दुरूपयोग/भ्रष्टाचार/राजकोष को हानि पहुंचाना पाया जाने पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर द्वारा श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17ए के तहत लोकसेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन मे गई सिफारिशों के लिए गए विनिश्य से संबधित अपराधों के अनुसंधान/जांच के

लिए सक्षम पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाकर प्राथमिक जांच सं. 09/2023 दर्ज कर जांच हेतु प्रेषित की। दौराने प्राथमिक जांच प्राप्त रिकॉर्ड एवं बयानात गवाहान से पाया गया कि श्रीमान जिला कलेक्ट्रर जालौर के आदेश क्रमांक राजस्व/2941-47 दिनांक 06.08.2010 एवं तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक राजस्व/10/1202 दिनांक 11.08.2010 की पालना में पटवारी भू-अभिलेख सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर द्वारा खंसरा संख्या 2731 का कुल 0.11 हैक्टेयर गैर ममुकिन व 2736 का कुल क्षेत्रफल 1.12 हैक्टेयर बारानी दोयाम मौजा माखूपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना एन.एच. 15 व नया एन. एस. 68 पर स्थित भूमि का नगर पालिका सांचौर के नाम नामान्तरण भरा गया। श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के आदेश पत्रांक 394 दिनांक 15.02.1996 द्वारा आरक्षित की गयी थी। किन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पुनः आदेश क्रमांक 141 दिनांक 15.01.1998 द्वारा पर्यटन विभाग केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त सेट अपार्ट भूमि का आदेश प्रत्याहारित किया गया था। तत्पश्चात् नगरपालिका द्वारा उक्त भूखण्ड को आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत भूमि को होटल नीति के तहत नीलामी दिनांक 16.05.2011 से 19.05.2011 को रखी गई थी। जिसमें बोगस बोली न्यूनतम बोली दाता श्री प्रकाश पुत्र रायचन्द जाति विश्नोई के द्वारा 1.51 करोड़ एवं अधिकतम बोली दाता श्री केवलचन्द एण्ड पार्टी वगैरा के द्वारा 6.81 करोड़ की बोली रिकार्ड अनुसार लगायी गयी थी। बोगस बोली के आधार पर उक्त नीलामी रद्द कर पुनः नीलामी का प्रस्ताव पालिका मंडल की साधारण बैठक दिनांक 16.08.2011 को पारित प्रस्ताव सं. 04 (अ) पर लिया गया था। उक्त भूखण्ड की सीमा पर नगर पालिका सांचौर द्वारा श्री नारायणसिंह पुत्र राजूसिंह राव के नाम से पट्टा संख्या 1150/31.12.2013 जारी किया गया था। लीज धारक द्वारा उक्त पट्टा विलेख की आड़ में नगर पालिका सांचौर भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने पर नगर पालिका सांचौर द्वारा उक्त निर्माण को हटाया गया। उक्त पट्टा विलेख नगरपालिका मंडल द्वारा बैठक दिनांक 27.04.2018 में प्रस्ताव सं. 03(2) पर पट्टा निरस्त करने एवं संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाये जाने बाबत निर्णय लिया गया था। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर के पत्रांक 1219 दिनांक 16.05.2023 द्वारा नगर पालिका सांचौर के खसरा नंबर 2731 व 2736 में पट्टा संख्या 1150/31.12.2013 श्री नारायणसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राव निवासी मौखूपुरा थराद रोड सांचौर ज़िला जालोर को जारी पट्टा से संबंधित प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय सांचौर में विचाराधीन होना पाया गया। सत्यापन से पाया गया कि नगर पालिका सांचौर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के उक्त खसरा भूमि 2731 व 2736 में पट्टे जारी किये गये, जो निम्न प्रकार है- 1. श्री भभूताराम पुत्र धन्नाराम जाति विश्नोई निवासी मौखुपुरा सांचौर द्वारा उक्त भूखण्ड में क्षेत्रफल 600 वर्गगज भूमि कब्जा नियमन हेतु आवेदन पत्र श्री हरिशचन्द्र गहलोत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर के समक्ष दिनांक 23.11.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसे अधिशाषी अधिकारी द्वारा मार्क किया गया। तत्पश्चात् जिसे नगर पालिका आवक-जावक शाखा प्रभारी द्वारा इन्द्राज कर इन्द्राज स. 2380 दिनांक 24.11.2021 को भूमि शाखा लिपिक को सुपर्द की गई। संबंधित लिपिक द्वारा पत्रावली सं. 462/01.12.2021 पर दर्ज की जाकर आपत्ति विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2021 को दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत में प्रकाशन पश्चात् पत्रावली अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा तकनीकी विधिक व पटवारी हेतु मार्क की गई। कनिष्ठ अभियन्ता संविदा श्री रमेश सुंदेशा द्वारा मौका मुआयना कर रिपोर्ट की गई जिसमें भूखण्ड पर आंशिक निर्माण (ओरड़ी) एवं मास्टर प्लान में आवासीय व प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने का उल्लेख कर मौका नक्शा पड़ोस सहित अंकित किया जाकर टिप्पणी अंकित की गई। पटवारी हल्का सांचौर द्वारा भूमि की किस्म बारानी दोयम नगर पालिका सांचौर आबादी में होना अंकित कर रिपोर्ट की गई तथा विधि सलाहकार द्वारा भूखण्ड बाबत् वाद न्यायालय में विचाराधीन नही होने व किसी भी प्रकार का स्थगन नही होनें बाबत् रिपोर्ट की गई है। तत्पश्चात् लिपिक द्वारा पत्रावली अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिशाषी अधिकारी द्वारा लिपिक की टिप्पणी को हस्ताक्षरित किया गया। तत्पश्चात् लिपिक द्वारा राशि की गणना की जाकर अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित कर श्री नरेश एच. सेठ, अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर को मार्क की गई। पट्टा विलेख प्रारूप संबंधित लिपिक की रिपोर्ट पत्रावली में नहीं पाई गई, राशि गणना के पश्चात् जो भी अग्रिम कार्यवाही की गई वो अधिशाषी अधिकारी के द्वारा की गई है। श्री नरेश एच. सेठ, अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर व श्री हरिशचन्द्र गहलोत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर व श्री रमेश कुमार सुदेशा संविदा कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका सांचौर द्वारा पत्रावली पर हस्ताक्षर उपरान्त पट्टा विलेख सं. 96/2022 जारी किया गया। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली पर शिकायत पत्रावली में संलग्न नही है, परन्तु अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली में टिप्पणी की गई है कि शिकायत का हवाला देते हुए एवं लीज धारक (आवेदक) द्वारा प्रस्तुत पट्टा निरस्त करने एवं पट्टा पालिका में समर्पित किये जाने के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त पट्टा विलेख राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 बी में कार्यवाही कर निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तावित कर पत्रावली अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की गई। जिस पर अध्यक्ष द्वारा तुरन्त प्रभाव से पट्टा विलेख निरस्त किये जाने बाबत टिप्पणी की। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 7164-69 दिनांक 13.01.2022 द्वारा पट्टा विलेख निरस्त किये जाने बाबत जारी किया गया। उक्त पत्र लीज धारक श्री भभूताराम द्वारा दिनांक 13.01.2022 को प्राप्त किया गया। जो कि पत्रावली में संलग्न है। उक्त पट्टा विलेखो के निरस्तीकरण बाबत् नगर पालिका मंडल की साधारण बैठक दिनांक

14.02.2022 के पारित प्रस्ताव सं. 02 (6) अनुपालना में पालिका पत्रांक-532 दिनांक 20.04.2022 द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन करवाया गया। जिसका प्रकाशन दिनांक 22.04.2022 को हुआ। इस प्रकार उक्त पट्टा विलेख वर्तमान में निरस्त है, परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.05.2023 तक नगर पालिका कार्यालय में मूल पट्टा जमा नहीं करवाया गया है, जबकि प्रार्थी ने पट्टा निरस्त कर समर्पित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पत्रावली में संलग्न है। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा पट्टा समर्पित करने एवं जमा कराने हेतु नोटिस जारी नही किया जाना पाया गया। 2. श्री किशोर कुमार पुत्र गोकुलदास जाति वैष्णव निवासी मौखुपुरा सांचौर द्वारा उक्त भूखण्ड में क्षेत्रफल 600 वर्गगज भूमि कब्जा नियमन हेतु आवेदन पत्र श्री हरिशचन्द्र गहलोत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर के समक्ष दिनांक 23.11.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसे अधिशाषी अधिकारी द्वारा मार्क किया जाकर नगर पालिका आवक-जावक शाखा प्रभारी द्वारा इन्द्राज कर इन्द्राज सं. 2378 दिनांक 24.11.2021 को भूमि शाखा लिपिक को सुपर्द की गई। संबंधित लिपिक द्वारा पत्रावली सं. 463/01.12.2021 पर दर्ज की जाकर आपत्ति विज्ञप्ति दिनांक 03.122021 को दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत में प्रकाशन पश्चात् पत्रावली अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा तकनीकी विधिक व पटवारी हेतु मार्क की गई। कनिष्ठ अभियन्ता संविदा श्री रमेश सुंदेशा द्वारा मौका मुआयना कर रिपोर्ट की गई जिसमें भूखण्ड पर आंशिक निर्माण (ओरड़ी) एवं मास्टर प्लान में आवासीय व प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने का उल्लेख कर मौका नक्शा पड़ौस सहित अंकित किया जाकर टिप्पणी अंकित की गई। पटवारी हल्का सांचौर द्वारा भूमि की किस्म बारानी दोयम नगर पालिका सांचौर आबादी में होना रिपोर्ट की गई व विधि सलाहकार द्वारा भूखण्ड बाबत वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने व किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं होने बाबत रिपोर्ट की गई है । तत्पश्चात संबंधित लिपिक द्वारा पत्रावली अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिशाषी अधिकारी द्वारा लिपिक की टिप्पणी को हस्ताक्षरित किया गया। तत्पश्चात् लिपिक द्वारा राशि की गणना की जाकर अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित कर श्री नरेश एच. सेठ, अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर को मार्क की गई। पट्टा विलेख प्रारुप संबंधित लिपिक की रिपोर्ट पत्रावली में नही पाई गई राशि गणना के पश्चात् जो भी अग्रिम कार्यवाही की गई वो अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के द्वारा की गई है। श्री नरेश एच. सेठ, अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर व श्री हरिशचन्द्र गहलोत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर व श्री रमेश कुमार सुंदेशा संविदाकर्मी कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका सांचौर द्वारा पत्रावली पर हस्ताक्षर उपरान्त पट्टा विलेख सं. 97/2022 जारी किया गया। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली पर शिकायत पत्रावली में संलग्न नहीं है, परन्तु अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली में टिप्पणी की गई है कि शिकायत का हवाला देते हुए एवं लीज धारक (आवेदक) द्वारा प्रस्तुत पट्टा निरस्त करने एवं पट्टा पालिका में समर्पित किये जाने के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त पट्टा विलेख राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 बी में कार्यवाही कर निरस्त किये जाने बाबत् प्रस्तावित कर पत्रावली अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई जिस पर अध्यक्ष द्वारा तुरन्त प्रभाव से पट्टा विलेख निरस्त किये जाने बाबत टिप्पणी की। नगर पालिका द्वारा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 7164-69 दिनांक 13.01.2022 द्वारा पट्टा विलेख निरस्त किये जाने बाबत जारी किया गया। उक्त पत्र लीज धारक श्री किशोर कुमार द्वारा दिनांक 13.01.2022 को प्राप्त किया गया। उक्त पट्टा विलेखो के निरस्तीकरण बाबत् पालिका मंडल की साधारण बैठक दिनांक 14.02.2022 के पारित प्रस्ताव सं. 02(6) की अनुपालना में पालिका पत्रांक- 532 दिनांक 20.04.2022 द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन करवाया गया। जिसका प्रकाशन दिनांक 22.04.2022 को हुआ। इस प्रकार उक्त पट्टा विलेख वर्तमान में निरस्त है, परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.05. 2023 तक नगर पालिका कार्यालय में मूल पट्टा जमा नही करवाया गया है। जबकि प्रार्थी ने पट्टा निरस्त कर समर्पित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पत्रावली में संलग्न है। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा पट्टा समर्पित करने एवं ज़मा कराने हेतु नोटिस जारी नही किया गया। 3. श्री नारायणसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राव निवासी मौखुपुरा सांचौर द्वारा उक्त भूखण्ड में क्षेत्रफल 600 वर्गगज भूमि कब्जा नियमन हेतु आवेदन पत्र श्री हरिशचन्द्र गहलोत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर के समक्ष दिनांक 23.11.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिससे अधिशाषी अधिकारी द्वारा मार्क किया जाकर नगर पालिका आवक-जावक शाखा प्रभारी द्वारा इन्द्राज कर इन्द्राज सं. 2379 दिनांक 24.11.2021 को भूमि शाखा लिपिक को सुपर्द की गई। संबंधित लिपिक द्वारा पत्रावली सं. 467/01.12.2021 पर दर्ज की जाकर आपत्ति विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2021 को दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत में प्रकाशन पश्चात् पत्रावली अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा तकनीकी विधिक व पटवारी हेतु मार्क की गई। कनिष्ठ अभियन्ता संविदा श्री रमेश सुंदेशा द्वारा मौका मुआयना कर रिपोर्ट की गई जिसमें भूखण्ड पर आंशिक निर्माण (ओरडी) एवं मास्टर प्लान में आवासीय व प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने का उल्लेख कर मौका नक्शा पडौस सहित अंकित किया जाकर टिप्पणी अंकित की गई। पटवारी हल्का सांचौर द्वारा भूमि की किस्म बारानी दोयम नगर पालिका सांचौर आबादी में होना रिपोर्ट की गई व विधि सलाहकार द्वारा भूखण्ड बाबत वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने व किसी भी प्रकार का स्थगन नही होने बाबत् रिपोर्ट की गई है। तत्पश्चात् लिपिक द्वारा पत्रावली अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिशाषी अधिकारी द्वारा लिपिक की टिप्पणी को हस्ताक्षरित किया गया। तत्पश्चात् लिपिक द्वारा

राशि की गणना की जाकर अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिशाषी अधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित कर श्री नरेश एच. सेठ, अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर को मार्क की गई। पट्टा विलेख प्रारूप संबंधित लिपिक की रिपोर्ट पत्रावली में नही पाई गई राशि गणना के पश्चात् जो भी अग्रिम कार्यवाही की गई वो अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के द्वारा की गई है। श्री नरेश एच. सेठ, अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर व श्री हरिशचन्द्र गहलोत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर व श्री रमेश कुमार सुंदेशा हरिशचन्द्र गहलोत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर व श्री रमेश कुमार सुंदेशा संविदाकर्मी कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका सांचौर द्वारा पत्रावली पर हस्ताक्षर उपरान्त पट्टा विलेख सं. 98/2022 जारी किया गया। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली पर शिकायत पत्रावली में संलग्न नही है, परन्तु अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली में टिप्पणी की गई है कि शिकायत का हवाला देते हुए एवं लीज धारक (आवेदक) द्वारा प्रस्तुत पट्टा निरस्त करने एवं पट्टा पालिका मे समर्पित किये जाने के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त पट्टा विलेख राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 बी में कार्यवाही कर निरस्त किये जाने बाबत् प्रस्तावित कर पत्रावली अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई जिस पर अध्यक्ष द्वारा तुरन्त प्रभाव से पट्टा विलेख निरस्त किये जाने बाबत टिप्पणी की नगर पालिका द्वारा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 7164-69 दिनांक 13.01.2022 द्वारा पट्टा विलेख निरस्त किये जाने बाबत् जारी किया गया। उक्त पत्र लीज धारक श्री नारायणसिंह द्वारा दिनांक 13.01.2022 को प्राप्त किया गया। जो कि पत्रावली में संलग्न है। उक्त पट्टा विलेखों के निरस्तीकरण बाबत् नगर पालिका मंडल की साधारण बैठक दिनांक 14.02.2022 के पारित प्रस्ताव सं. 02 (6) की अनुपालना में पालिका पत्रांक-532 दिनांक 20.04.2022 द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन करवाया गया। जिसका प्रकाशन दिनांक 22.04.2022 को हुआ। इस प्रकार उक्त पट्टा विलेख वर्तमान में निरस्त है, परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.05.2023 तक नगर पालिका कार्यालय में मूल पट्टा जमा नहीं करवाया गया है जबकि प्रार्थी ने पट्टा निरस्त कर समर्पित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पत्रावली में संलग्न है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा पट्टा समर्पित करने एवं जमा कराने हेतु नोटिस जारी नही किया जाना पाया गया। सम्पूर्ण जांच के दौरान प्राप्त मौखिक एव अभिलेखित साक्ष्यों से पाया गया कि श्री हरिशचन्द्र गेहलोत पुत्र श्री खीमाराम गहलोत जाति माली निवासी रायचन्द कोलोनी शिवगंज जिला सिरोही तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सांचौर (हाल सेवानिवृत्त), 2. श्री नरेश एच. सेठ पुत्र हरखचन्द सेठ निवासी दोसिया वास सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर हाल अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर जिला साचौंर, 03. श्री रमेश सुन्देशा पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी रामदेव कोलोनी जालोर जिला जालोर तत्कालीन संविदा कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका सांचौर द्वारा नगर पालिका सांचौर में पदस्थापन के दौरान श्रीमान जिला कलेक्ट्रर के आदेश क्रमांक राजस्व/2941-47 दिनांक 06.08.2010 एवं तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक राजस्व/10/1202 दिनांक 11.08.2010 की पालना में पटवारी भू-अभिलेख सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर द्वारा खसरा संख्या 2731 का कुल 0.11 हैक्टेयर गैर ममुकिन व 2736 का कुल क्षेत्रफल 1.12 हैक्टेयर बारानी दोयाम मौजा माखूपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना एन.एच. 15 व नया एन.एस. 68 पर स्थित भूमि का नगर पालिका सांचौर के नाम नामनान्तरण भरा गया। श्रीमान जिला कलेक्टर जालौर के आदेश पत्रांक 394 दिनांक 15.02.1996 द्वारा आरक्षित की गयी थी। किन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर जालौर द्वारा पुनः आदेश क्रमांक 141 दिनांक 15.01.1998 द्वारा पर्यटन विभाग केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त सेट अपार्ट भूमि का आदेश प्रत्याहारित किया गया था तत्पश्चात् नगरपालिका द्वारा उक्त भूखण्ड को आई.डी. एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत भूमि को होटल नीति के तहत नीलामी दिनांक 16.05.2011 से 19.05.2011 को रखी गई थी। जिसमें बोगस बोली न्यूनतम बोली दाता श्री प्रकाश पुत्र रायचन्द जाति विश्नोई के द्वारा 1.51 करोड़ एवं अधिकतम बोली दाता श्री केवलचन्द एण्ड पार्टी वगैरा के द्वारा 6.81 करोड़ की बोली रिकार्ड अनुसार लगायी गयी थी। बोगस बोली के आधार पर उक्त नीलामी रद्ध कर पुनः नीलामी का प्रस्ताव पालिका मंडल की साधारण बैठक दिनांक 16.08.2011 के पारित प्रस्ताव सं. 04 (अ) पर लिया गया था। उक्त भूखण्ड की सीमा पर पालिका द्वारा श्री नारायणसिंह पुत्र राजूसिंह राव के नाम से पट्टा सं. 1150/31.12.2013 जारी किया गया था। लीज धारक द्वारा उक्त पट्टा विलेख की आड़ में पालिका भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने पर पालिका द्वारा उक्त निर्माण को हटाया गया जिस पर पट्टा धारक पर स्थानीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर के पत्रांक 1219. दिनांक 16.05.2023 द्वारा नगर पालिका सांचौर के खसरा नंबर 2731 व 2736 में पट्टा संख्या 1150/31.12.2013 श्री नारायणसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राव निवासी मौखूपुरा थराद रोड सांचौर जिला जालोर को जारी पट्टा से संबंधित प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय सांचौर में विचाराधीन होना अवगत करवाया गया है। आरोपीगण द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए षड्यंत्र पूर्वक कुट रचित दस्तावेजों के आधार पर नियम विरूद्ध नगर पालिका सांचौर की बेशकिमती भूमि खसरा नंबर 2731 व 2736 में लाभार्थी 01. श्री किशोर कुमार पुत्र श्री गोकुलदास जाति वैष्णव निवासी सांचौर जिला जालोर को पट्टा संख्या 97 /2022 दिनांक 11.01.2022, 02. श्री नारायणसिंह पुत्र राजुसिंह जाति राव निवासी सांचौर तहसील जिला जालोर को पट्टा संख्या 98 दिनांक 11.01.2022 व 03. श्री भभूताराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी माखूपुरा तहसील सांचौर जिला जालोर को पट्टा संख्या 96 दिनांक 11.01.2022 को जारी

कर नगर पालिका सांचौर को अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाना तथा उपरोक्त पट्टे उपरोक्त आरोपीगण द्वारा दिनांक 12.01.2022 को निरस्त किया जाना पाया गया, परन्तु उप पंजीयक सांचौर में पंजीयन शुदा पट्टे निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं करना पाया गया है। आरोपीगण सर्वश्री 01. हरिशचन्द्र गेहलोत, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर(सेवानिवृत्त), 02. नरेश एच. सेठ, अध्यक्ष, नगर पालिका सांचौर एवं 03. रमेश सुन्देशा तत्कालीन संविदा कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका सांचौर तथा लाभार्थीगण सर्वश्री 04. किशोर कुमार, 05. नारायणसिंह एवं 06. भभूताराम का उपरोक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 467, 468, 471, 120बी भादंस का अपराध कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 1. श्री हरिशचन्द्र गहलोत पुत्र श्री खीमाराम, उम्र 61 वर्ष, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांचौर, हाल सेवानिवृत्त निवासी रायचंद कॉलोनी, शिवगंज, थाना शिवगंज, जिला सिरोही, 2. श्री नरेश एच. सेठ पुत्र श्री हरखचन्द सेठ, उम्र 64 वर्ष, निवासी हाडेचा रोड़, सांचौर, थाना सांचौर, जिला सांचौर, हाल सभापति नगर पालिका सांचौर, जिला सांचौर, 3. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल माली, उम्र 31 साल, निवासी शांतिनगर, बी ब्लॉक, रामदेव कॉलोनी, जालौर, थाना/जिला जालौर, तत्कालीन संविदा तकनीकी अभियंता(सिविल), नगर पालिका सांचौर, हाल संविदा तकनीकी अभियंता(सिविल), नगर पालिका रानीवाड़ा, जिला सांचौर, एवं लाभार्थीगण 4. श्री किशोर कुमार पुत्र श्री गोकुलदास, उम्र 37 साल, जाति वैष्णव, निवासी पुराना पावर हाउस के पास, सांचौर, थाना/जिला सांचौर, 5. श्री नारायण सिंह पुत्र श्री राजूसिंह, उम्र 45 साल, जाति राव, निवासी रावों का वास सांचौर, थाना/जिला सांचौर, 6. श्री भभुताराम पुत्र श्री धन्नाराम, उम्र 56 साल, जाति बिश्नोई, निवासी धमाणा का गोलिया, थाना/जिला सांचौर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 467, 468, 471, 120बी भादंस में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावे । भवदीय (डॉ. महावीर सिंह राणावत) अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, जालोर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीर सिंह राणावत, अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 467, 468, 471, 120बी भादंस . - में आरोपीगण (1) श्री हरिशचन्द्र गहलोत पुत्र श्री खीमाराम, उम्र 61 वर्ष तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांचौर, हाल सेवानिवृत्त निवासी रायचंद कॉलोनी, शिवगंज, थाना शिवगंज, जिला सिरोही, (2) श्री नरेश एच. सेठ पुत्र श्री हरखचन्द सेठ, उम्र 64 वर्ष , हाडेचा रोड़, सांचौर, थाना सांचौर, जिला सांचौर, हाल सभापति नगर पालिका सांचौर, जिला सांचौर, (3) श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल माली, उम्र 31 साल निवासी शांतिनगर, बी ब्लॉक, रामदेव कॉलोनी, जालौर, थाना व जिला जालौर, तत्कालीन संविदा तकनीकी अभियंता(सिविल), नगर पालिका सांचौर, हाल संविदा तकनीकी अभियंता(सिविल), नगर पालिका रानीवाड़ा, जिला सांचौर, (4) श्री किशोर कुमार पुत्र श्री गोकुलदास, उम्र 37 साल, जाति वैष्णव, निवासी पुराना पावर हाउस के पास, सांचौर, थाना व जिला सांचौर, (5) श्री नारायण सिंह पुत्र श्री राजूसिंह, उम्र 45 साल, जाति राव, निवासी रावों का वास सांचौर, थाना व जिला सांचौर, (6) श्री भभुताराम पुत्र श्री धन्नाराम, उम्र 56 साल, जाति बिश्नोई, निवासी धमाणा का गोलिया, थाना व जिला सांचौर, के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री अरविंद कुमार, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 210 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर क्रमांक 906-11 दिनांक 14.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2 निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव स्वायत शासन विभाग जयपुर राज0। 3 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रानीवाड़ा जिला सांचौर। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रा0जॉ0 (09/2023) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Arvind Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/08/2024 20:

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1963				
2	Male	1960				
3	Male	1993				
4	Male	1987				
5	Male	1979				
6	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)